दिनांक 24.07.2024 ''स्वच्छ एवं सुंदर भिलाई''

जाति प्रमाण पत्र बनाने में अनिवार्य दस्तावेज लगेंगे निगम भिलाई में

भिलाई नगर। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र में जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए यहां के निवासीयो को परेशानी हो रही थी। उसके समाधान के लिए सामान्य सभा के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था। सामान्य सभा में चर्चा के दौरान निर्णय लिया गया कि जॉच समिति गठित किया जावे। जो सभी बिन्दुओ पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे एवं उसी के आधार पर जाति प्रमाण पत्र जारी किया जावे। आयुक्त देवेश कुमार ध्रुव द्वारा समिति का गठन किया गया। जिसमें उपायुक्त नरेन्द्र कुमार बंजारे को अध्यक्ष, प्रभारी अधिकारी नवीन कुमार साहू को सचिव एवं जोन के सहायक राजस्व अधिकारी मलखान सिंह शोरी, धीरज साहू, जे.पी.तिवारी, अनिल मेश्राम एवं बालकृष्ण नायडू को सदस्य बनाया गया है। समिति की प्रथम बैठक में जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए निगम भिलाई में पहले से जमा किये गये आवेदन का परीक्षण किया गया। जिसमें यह पाया गया कि जाति प्रमाण पत्र बनाने हेतु आवेदन किये है उनसे शपथ पत्र, वंशावली, अनुलब्धता प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है। जॉच समिति शासन के दिशा निर्देशो के अनुरूप कार्यवाही करेगी। जो भी हितग्राही पूर्व में आवेदन पत्र जमा कर चुके है, वे मुख्य कार्यालय के अनुसूचित जाति जन जाति कल्याण विभाग में संपर्क कर सकते है। आवेदको को इस संबंध में विभाग से पत्र भी जारी किया जा रहा है।